CNR No. UPSN010011332025

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–1 भदोही।

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) आई. डी. –यू.पी. 2412

दाण्डिक अपील संख्या –44/2025

1.भरतलाल मौर्या उम्र लगभग 67 वर्ष पुत्र रामभरोस मौर्या
2.आनंद कुमार मौर्या उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र भरतलाल मौर्या
3.कमलाशंकर उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र रामदुलार मौर्या
4.लालबहादुर उम्र लगभग 66 वर्ष पुत्र सोतीलाल मौर्या
समस्त निवासीगण मौजा रजपुर, थाना भदोही, जिला भदोही ।

.....अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1.उत्तर प्रदेश सरकार
2.वेदप्रकाश मौर्या पुत्र राजमनि, निवासी रजपुर, पुलिस चौकी रजपुर थाना व जिला भदोही। ..... विपक्षीगण

04.07.2026 **निर्णय**

प्रस्तुत फौजदारी अपील न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही– ज्ञानपुर द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 1718 सन् 2004, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम भरतलाल मौर्या आदि, मुकदमा अपराध संख्या 408/2004, अन्तर्गत धारा–323/34, 325/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–भदोही, जिला–भदोही के मामले में पारित आदेश दिनांकित 11.03.2025 के विरुद्ध संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण भरतलाल मौर्या पुत्र राम सरोज मौर्य, आनन्द कुमार मौर्या पुत्र भरतलाल मौर्य, कमलाशंकर मौर्या पुत्र रामदुलार मौर्य, लाल बहादुर मौर्या पुत्र सोतीलाल मौर्य, निवासीगण रजपुरा, थाना भदोही, जिला भदोही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323/34 के अन्तर्गत दोषी पाते हुये तुरन्त कोई दण्डादिष्ट देने के बजाए सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी, भदोही के अधीन एक वर्ष के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा है ।

2. संक्षेप में, वे तथ्य ,जिनसे यह आपराधिक अपील अस्तित्व में आयी, इस प्रकार हैं कि परिवादी/विपक्षी संख्या–2 की माँ सुन्दरी देवी ने आराजी नं० 922 मि० रकबा 12 बिस्वा 8 चूर का रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24.05.2003 को कराकर काबिज दाखिल चली आ रही है। परिवादी व उसका भाई सत्यप्रकाश दिनांक 05.11.2003 को आराजी संख्या 922 मि० में आलू बो रहे थे और करीब आधा रकबे में आलू बो चुके तो उक्त तारीख को साढ़े आठ बजे सुबह अभियुक्ता नीला देवी एवं उसके पति भरतलाल अपने लड़के आनन्द कुमार व कमलाशंकर, मुद्दकी, लालबहादुर के साथ आये और नीला देवी व भरतलाल ने ललकारा जान से मार डालो सालों को और जमीन पर कब्जा कर लो। इस पर अभियुक्तगण आनन्द

कुमार, कमलाशंकर, भुटकी, लाल बहादुर परिवादी व उसके भाई सत्यप्रकाश को जान से मारने के आशय से सिर एवं सीने पर लाठी एवं सरिया से मारे जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आई। परिवादी के शोर करने पर सुरेन्द्र एवं गांव के अन्य लोगों ने घटना को देखा और बीच–बचाव किया जिससे उनकी जान बची। अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दिया और माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालिया दी। परिवादी के भाई ने घटना की सूचना उसी दिन थाना भदोही को दिया। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी मौखिक सूचना के आधार पर थाना भदोही में एन०सी०आर० संख्या 294/03 दर्ज की गई। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 155(2) दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसपर अवर न्यायालय द्वारा विवेचना किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मामले में धारा 325 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोतरी करते हुए मामला मु०अ०सं०–408/2004 थाना भदोही में पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा निरीक्षण सम्पूर्ण विवेचनोपरांत अपीलार्थी /अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 325, 504 भारतीय दंड संहिता का अपराध गठित होना पाते हुए अवर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.12.2024 को अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचरण की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर से अवर न्यायालय के समक्ष PW–1 वेद प्रकाश पुत्र राजमनि, PW–2 सत्यप्रकाश मौर्या पुत्र स्व राजमणि मौर्य, PW–3 सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय (रिटायर्ड उप निरीक्षक) तथा PW–4 शिवप्रसाद यादव चीफ फार्मासिस्ट को परीक्षित कराया गया। अभिलेखीय साक्ष्य में 155(2) दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श क–1, एन०सी०आर०की कार्बन प्रति प्रदर्श क–2, जी.डी. कायमी मुकदमा प्रदर्श क–3,आरोप पत्र प्रदर्श क–4, नक्शा नजरी प्रदर्श क–5, आघात आख्या वेद प्रकाश प्रदर्श क–6 व सत्यप्रकाश प्रदर्श क–7 अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत अपीलार्थी/अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

3. विद्वान अवर न्यायालय ने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन करने के उपरांत दिनांक 11.03.2025 को अपने आलोच्य आदेश में यह स्थापित किया कि "... पत्रावली पर उपलब्ध आघात आख्या प्रदर्श क–6 व 7 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मजरूब वेद प्रकाश के शरीर पर तीन चोटें कन्टयूजन कारित होना जिन्हें एक्सरे के लिए रेफर किया जाना उल्लेखित है। मजरूब सत्य प्रकाश की आधात आख्या के अनुसार उसके शरीर पर चार चोटें जिसमें से घोट संख्या 2, 3, 4 कन्टयूजन तथा चोट संख्या लेसरेटेड वुन्ड लिखी है। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर मौजूद एक्सरे प्लेट की साबित नहीं कराया गया है और न ही कोई सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट ही पेश की गई है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 भारतीय दंड संहिता का युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना पाया जाता है तथा आरोप अंतर्गत धारा 325 भारतीय दंड संहिता मेडिकल रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट व अतिरिक्त सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।.....धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुये अपमानित किया जाय कि वह प्रकोपित होकर लोक शान्ति भंग करेगा या अन्य अपराध

करेगा। यह धारा गाली–गलौज तथा अपमानकारी भाषा के प्रयोग के विपरीत उपचार प्रदान करती है। गाली–गलौज की भाषा जो लोक शान्ति को भंग करने की क्षमता से युक्त है, इस धारा के अन्तर्गत अपराध नहीं है। अपमानित करने के आशय से ही ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिये, किसी व्यक्ति को शब्दों अथवा आचरण द्वारा अपमानित किया जा सकता है। यदि अपमान शब्दों द्वारा किया जाता है तो प्रयुक्त शब्द केवल अश्लील बोधक ही नहीं होने चाहिये, बल्कि उससे कुछ अधिक होने चाहिये। यदि अपमान की प्रकृति ऐसी है कि कोई अन्य अपराध कर डाले तभी इस धारा के अन्तर्गत अपराध गठित होगा।" विधि व्यवस्था **मृत्युंजय पटनायक बनाम घनश्वर डाला बेहरा (1990)1 काइम 105 उड़ीसा में माननीय उच्च न्यायालय** ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त गाली का शब्द अपमानजनक के साथ–साथ ऐसा होना चाहिये, जिससे प्रकोपित होकर शान्ति भंग अथवा कोई अपराध कारित करने की सम्भाव्यता हो।" इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व मुख्य परीक्षा में गाली गुप्ता देने की बात कही है लेकिन साक्षी द्वारा अपने बयान में ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा गाली दिये जाने से प्रकोपित होकर वादी मुकदमा व उसके भाई द्वारा प्रकोपित होकर शान्ति भंग किया अथवा कोई अपराध कारित किये जाने की सम्भावना प्रकट हुई। इस प्रकार उपरोक्त समस्त विचारण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–323/34 भारतीय दंड संहिता को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है, जिस कारण अभियुक्तगण उक्त धारा में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है तथा आरोप अंतर्गत धारा 325/34, 504 भारतीय दंड संहिता को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा, जिस कारण अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।..." उक्त स्थापित करते हुए अवर न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में यह आदेशित किया कि "..अभियुक्तगण भरतलाल मौर्या पुत्र राम सरोज मौर्य, आनन्द कुमार मौर्या पुत्र भरतलाल मौर्य, कमलाशंकर मौर्या पुत्र रामदुलार मौर्य, लाल बहादुर मौर्या पुत्र सोतीलाल मौर्या निवासीगण रजपुरा, थाना भदोही, जिला भदोही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323/34 के अन्तर्गत दोषी पाते हुये तुरन्त कोई दण्डादिष्ट देने के बजाए सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी, भदोही के अधीन एक वर्ष के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। अभियुक्तगण द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी, भदोही के अधीन बीस हजार रुपये की दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करे साथ ही इस आशय की अण्डरटेकिंग भी दी जाए कि वह परिवीक्षा अवधि के दौरान सदाचार बनाये रखेगा, शांति कायम रखेगा तथा कोई त्रुटि होने पर न्यायालय बुलाये जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा....." उक्त आक्षेपित दण्डादेश क्रमशः दिनांकित 11.03.2025 से क्षुब्ध होकर यह फौजदारी अपील, अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा योजित की गयी है।

4. अपीलार्थी/ अभियुक्तगण द्वारा अपील में यह आधार लिया गया है कि

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.3–2025 विधि विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके सरसरी तौर पर अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण को एक वर्ष के सदाचरण की परीवीक्षा से दण्डित किया गया है जो कत्तई पोषणीय नहीं है क्योकि अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं हुआ है और अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई आरोप अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है महज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को एक साल की अवधि तक परिवीक्षा से दण्डित किया गया है जो बिलकुल अपने न्यायिक विवेक का उपयोग न करके सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है और निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट अंकित नहीं कराई गयी है केवल मौखिक रिपोर्ट पर एन. सी. आर दर्ज करके मजरूब की चोटो का मेडिकल मुआईना कराया गया है इससे यह साबित होता है की कोई घटना घटित ही नहीं हुई है क्योकि पुलिस स्टेशन व अस्पताल की दूरी महज एक किलो मीटर के अंदर है इसके बावजूद 10–11 घण्टा बिलम्ब से मेडिकल कराया जाना इस बात का सबूत है कि अपीलार्थीगण व परिवादी के मध्य कोई वाद विवाद किसी प्रकार का हुआ ही नहीं इसलिये अपीलार्थीगण द्वारा धारा 323/34 आई. पी. सी. का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है इस बिनाह पर भी अपीलार्थीगण को सदाचरण की परिवीक्षा से दण्डित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वे एक सीधे शरीफ आदमी है और उनका का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलार्थी संख्या –1 भारत मौर्या द्वारा परिवादी के पिता राजमनि द्वारा आराजी नम्बरी 922 का बैनामा हासिल किया गया है इसलिये उस पर परिवादी द्वारा आलू लगाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज की नकल दाखिल किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई उस पर गौर नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण को महज रंजिशन परिवादी व उसके भाई द्वारा पुलिस थाना भदोही को अपनी साजिश में करके मौखिक सूचना पर एन. सी. आर. सं० 294/2003 अंकित किया था जिसका कोई साक्ष्य नहीं है कि घटना घटित हुयी थी इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया है उक्त के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.3.2025 पोष्णीय नहीं है और निरस्त/अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.3.2025 को अपास्त/ निरस्त/ विखंडित किये जाने की आज्ञा प्रदान करे ताकि न्याय हो।

5. विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.03.2025 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत फौजदारी अपील निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रश्नगत निर्णय एवं दण्डादेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा

न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से इस बिंदु का अवलम्बन लिया गया है कि परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट अंकित नहीं कराई गयी है केवल मौखिक रिपोर्ट पर एन.सी.आर दर्ज करके मजरूब की चोटो का मेडिकल मुआईना कराया गया है, पुलिस स्टेशन व अस्पताल की दूरी महज एक किलो मीटर के अंदर है इसके बावजूद 10–11 घण्टा बिलम्ब से मेडिकल कराया जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि अपीलार्थीगण व परिवादी के मध्य कोई वाद विवाद किसी प्रकार का हुआ ही नहीं, कोई घटना घटित नहीं हुई है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा धारा 323/34 आई.पी.सी. का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है इस बिनाह पर भी अपीलार्थीगण को सदाचरण की परिवीक्षा से दण्डित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलार्थी संख्या–1 भारत मौर्या द्वारा परिवादी के पिता राजमनि द्वारा आराजी नम्बरी 922 का बैनामा हासिल किया गया है इसलिये उस पर परिवादी द्वारा आलू लगाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज की नकल दाखिल किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई उस पर गौर नहीं किया गया है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि दाण्डिक वाद संख्या 1718 सन् 2004, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम भरतलाल मौर्या आदि में अभियोजन द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष कुल 4 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिसमें पी.डब्लू–1 के रूप में वेद प्रकाश मौर्या, पी.डब्लू–2 के रूप में सत्यप्रकाश मौर्या, पी.डब्लू–3 के रूप में विवेचक सुरेंद्रनाथ पांडेय व पी डब्लू–4 के रूप में शिव प्रसाद यादव चीफ फार्मासिस्ट का साक्ष्य अवर न्यायालय के समक्ष अंकित कराया गया है। पी डब्लू–4 के रूप में परीक्षित चीफ फार्मासिस्ट शिव प्रसाद यादव द्वारा मजरूब वेद प्रकाश मौर्या के मेडिकल रिपोर्ट को बतौर प्रदर्श क–4 साबित किया गया है। शेष अभियोजन साक्षियों द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष अंकित अपने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अवर न्यायालय में अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 Cr.P.C. विरचित करते समय प्रत्येक अभियुकगण से यह प्रश्न किया गया है कि " क्या उन्हें प्रतिरक्षा में सफाई साक्ष्य देना है? " जिसके प्रतिउत्तर में अभियुक्तगण भरतलाल मौर्या और आनंद कुमार मौर्या द्वारा यह कहा गया कि "दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल कर रहा हूँ " और अभियुक्तगण लालबहादुर मौर्या व कमलाशंकर मौर्या द्वारा इस प्रश्न के प्रतिउत्तर में कहा गया "जी नहीं ". अभियुक्तगण से यह पूछे जाने पर कि "क्या कुछ और कहना है? " अभियुक्तगण भरतलाल मौर्या और आनंद कुमार मौर्या द्वारा यह कहा गया कि "वादी मुकदमा उसी जमीन को जबरजस्ती कब्जा करने के लिए फर्जी मुकदमा चलाया है" अभियुक्तगण लालबहादुर मौर्या व कमलाशंकर मौर्या द्वारा इस प्रश्न के प्रतिउत्तर में कहा गया "जी नहीं "। परन्तु अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में अवर न्यायालय के समक्ष कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अवर न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि घटना कारित होते समय वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। जबकि अभियोजन द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गए साक्षी पी डब्लू–4 द्वारा मजरूब वेद प्रकाश मौर्या के चोटों के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य को बतौर प्रदर्श क–4 साबित किया गया है।

9. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 11.03.2025 में कोई विधिक अनियमितता अथवा त्रुटि नहीं है अस्तु विद्वान् अवर न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तथा इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अपीलार्थीगण द्वारा योजित दाण्डिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक अपील संख्या–44 सन् 2025 भारत मौर्या आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दाण्डिक वाद संख्या–1718 सन् 2004, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम भरतलाल मौर्या आदि में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांकित 11.03.2025 संपुष्ट किया जाता है।

अवर न्यायालय की मूल पत्रावली सम्बंधित न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाए ।

दाण्डिक अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 04.07.2026

(डॉ. अमित वर्मा)
आई. डी. – यूपी. 2412
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही–ज्ञानपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उदघोषित किया गया।

दिनांक– 04.07.2026

(डॉ. अमित वर्मा)
आई. डी. – यूपी. 2412
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by AMIT VERMA
Date: 2026.07.27 12:23:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court